

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - शालिया.....)



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 321/25 दायर दिनांक 27.9.2025 निर्णय दिनांक 27.9.2025

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>शालिया</u>	<u>214</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्राविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्राविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.सं.अधि.1956 का धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>शालिया</u> प.ह. <u>सालिया</u> खालास <u>214</u> में वर्तमान प्राविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन

1. पटवारी पटवार मण्डल शालिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजख रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चितौडगढ

तहसीलदार कपासन  
तहसीलदार (भू.अ.) कपासन